CANCELLED

भारत दो रुपये TWO RUPEES INDIA

B.O.R.

13 JUN 2014

87
17-6-14

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प, सागर

नि - 1884 - III - 14

मुन्नीदेवी पत्नी शिवराम ब्राह्मण पुत्री मातादीन
निवासी ग्राम घटरा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म०प्र०) == == निगरानीकर्ता

बनाम

१ - पवन कुमार व० कुट्टनसींग
२ - अरुण कुमार सींग वल्द कुट्टनसींग
३ - प्रमोद कुमार सींग वल्द कुट्टनसींग
४ - राजासींग वल्द कुट्टनसींग
५ - श्रीमति भूरी पत्नि कुट्टनसींग
समस्त निवासी मेहराजपुर तह० नरैनी, जिला बांदा (उ०प्र०)
हाल निवासी ग्राम घटरा तह० गौरिहार जिला छतरपुर (म०प्र०)
== == अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-रा० संहिता १९५९

निगरानीकर्ता/आवेदक न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, छतरपुर के रा०प्र०क्रमांक २४/निग०/अपील/वर्ष २००९-१० में पारित आदेश दिनांक ३०/४/२०१४ से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत करती है -

१ - यहकि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम घटरा की भूमि सर्वे नं० १६२२/२ रकबा १४-५६ एकड़ का मूल भूमिस्वामी रा० रिकार्ड में संवत् २०३३ तक गयाप्रसाद सींग वल्द कल्लू सींग दर्ज था उसकी मृत्यु के पश्चात् इस भूमि पर उसकी पत्नि राजाबहू का नामांतरण भूमिस्वामी स्वत्व पर स्वीकृत हुआ। श्रीमति राजा बहू ने अन्य भूमियों के साथ साथ उक्त भूमि में से ४-६२९ हे० का भाग १/२ पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक ६६८ दि० २/८/१९८४ द्वारा श्रीमति भूरी बाई पत्नि कुट्टनसींग ठाकुर को विक्रय की है,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1884–तीन/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.1.2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अपर कलेक्टर न्यायालय जिला छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 24/निगरानी/अपील/वर्ष 2009–2010 में पारित आदेश 30–4–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है । 2– अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों को गुणदोषों पर अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध है । अतः दूसरी निगरानी ग्राह्य करने का पर्याप्त आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	